न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

आवेदक उपेन्द्र मोदी पिता स्व0 हरिलाल मोदी, साकिन–मडुआटाड, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

मोजा मोरियाया	थाना नं0 02				
		खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किरम
		15 16	1877 1878	1.25	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माघ्यम से प्राप्त करें।साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांकरे...../...../ 2022 को प्रस्तुत करें।

जीप अंचल अधिकारी, कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

01.12.22

08.12.22

09.12.2022

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा—मोरियावा, थाना नं0—02, खाता सं0—15, 16 प्लॉट सं0—1877 एवं 1878 रकवा—1.25 डी0 एवं 1.25 डी0 कुल रकवा—2.5 डी0 भूमि उपेन्द्र मोदी पिता स्व0 हरिलाल मोदी के नाम से पंजी—II के पृष्ठ सं0—117 भाग सं0—15 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0—1150 / 2010—2011 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0—4660 दिनांक 13.07.2007 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष—2021—2022 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0—09 दिनांक—21.10.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा—मोरियावा, थाना नं0—02, खाता सं0—15, प्लॉट सं0—1877, रकवा—1.25 डी0, खाता सं0—16 प्लॉट सं0—1878 रकवा—1.25 डी0 कुल रकवा—2.5 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा—मोरियावा, थाना नं0—02, खाता सं0—15, प्लॉट सं0—1877, रकवा—1.25 डी0, खाता सं0—16 प्लॉट सं0—1878, रकवा—1.25 डी0 कुल रकवा—2.5 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी. के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

oglin अंचल अधिकारी.

कोडरमा